ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–11 दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 24, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर "दण्ड प्रकिया संहिता के धारा 156(3) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने हेतु किसी परिवाद पर संज्ञान लेते हुए, FIR दर्ज करने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाए) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किये जाने विषयक।

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर ही **"दण्ड प्रकिया संहिता के धारा 156(3) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने हेतु किसी परिवाद पर संज्ञान लेते हुए, FIR दर्ज करने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए** SOP (Standard operating procedures **मानक संचालन प्रकियाए) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर** (CAS) 4.5 **में सूचना दर्ज** करने की व्यवस्था है। जोन /परिक्षेत्र/ जनपद के कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) द्वारा उपरोक्त सूचना अंकित किये जाने की जिम्मेदारी होगी।

2. इस सम्बन्ध उक्त प्राथमिकी दर्ज करते समय उपरोक्त निर्देश के अनुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त आपरेटर (ग्रेड–ए) के साथ–साथ जोन /परिक्षेत्र/ जनपद के कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) भी जिम्मेदार होंगे। उक्त कार्य में शिथिलता पाये जाने पर जनपद पुलिस प्रभारी उनके विरूद्व दण्डात्मक प्रकिया अपनायें।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें।

समन्वयक अधिकारी– श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (NOC) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीनं0–7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

24/10

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर ग्रेड–2 उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
4. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।

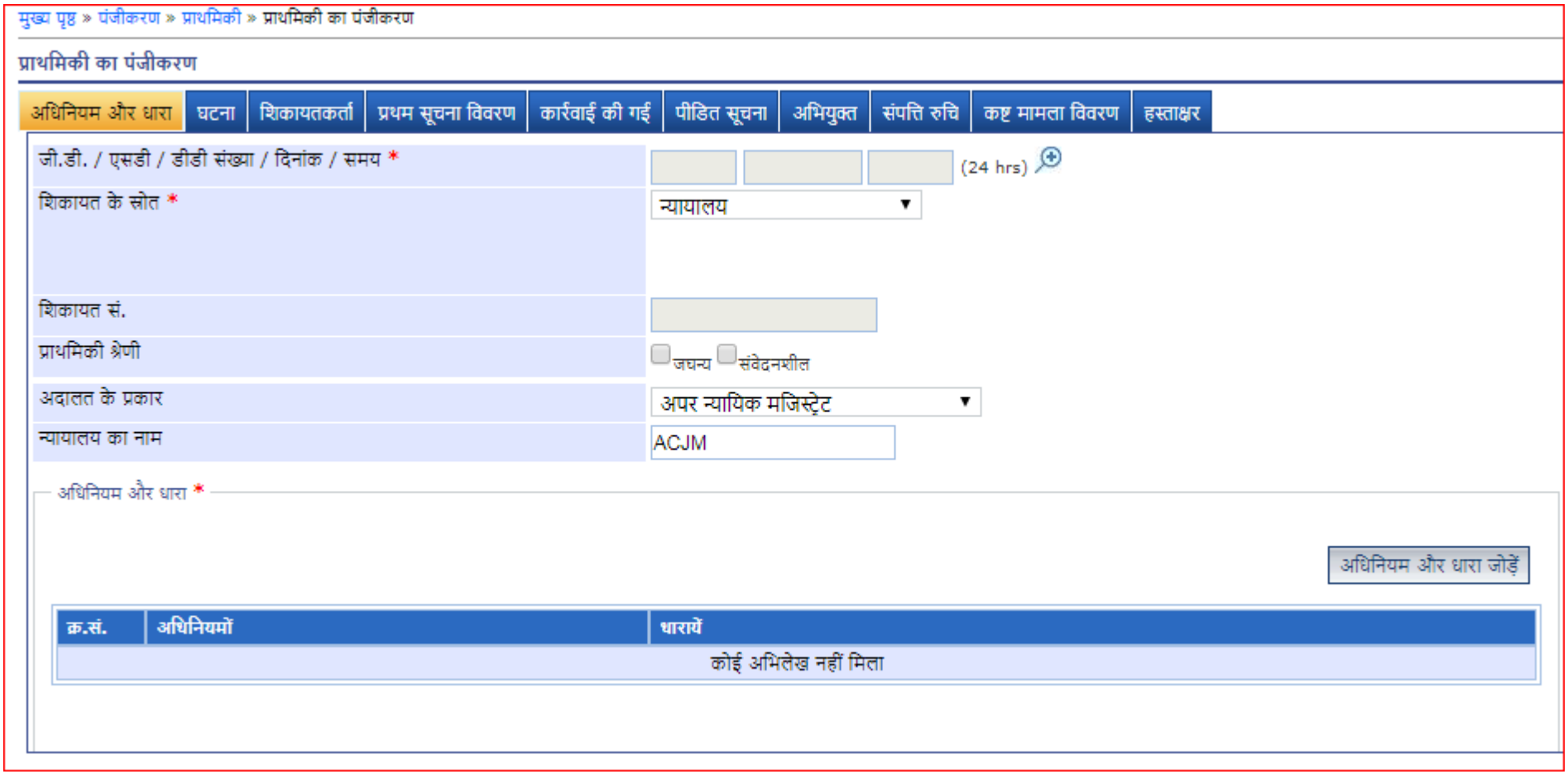
मुख्य पृष्ठ » पंजीकरण » प्राथमिकी » प्राथमिकी का पंजीकरण
प्राथमिकी का पंजीकरण
अधिनियम और धारा
घटना
शिकायतकर्ता
प्रथम सूचना विवरण
कार्रवाई की गई
पीडित सूचना
अभियुक्त
संपत्ति रुचि
कष्ट मामला विवरण
हस्ताक्षर
जी.डी. / एसडी / डीडी संख्या / दिनांक / समय *
(24 hrs)
शिकायत के स्रोत *
न्यायालय
शिकायत सं.
प्राथमिकी श्रेणी
जघन्य
संवेदनशील
अदालत के प्रकार
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय का नाम
ACJM
अधिनियम और धारा *
अधिनियम और धारा जोड़ें
क्र.सं.
अधिनियमों
धारायें
कोई अभिलेख नहीं मिला

CrPC के धारा 156(3) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कराना

1. दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 156(3) के अंतर्गत न्यायालय, किसी परिवाद पर संज्ञान लेते हुए, FIR दर्ज करने का निर्देश जारी कर सकता है |

156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति—(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है ।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था ।

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है ।

अध्याय 14

कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें

190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान—(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है :—

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर ;

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर ;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है ।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है ।

2. इस प्रकार के FIR का पंजीकरण करने की प्रक्रिया, किसी भी सामान्य FIR को दर्ज करने के समान ही है |

3. सर्वप्रथम CAS में LOGIN कर **“पंजीकरण”** → **“प्राथमिकी (IIF-1)”** → **“प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण”** पर क्लिक करें |

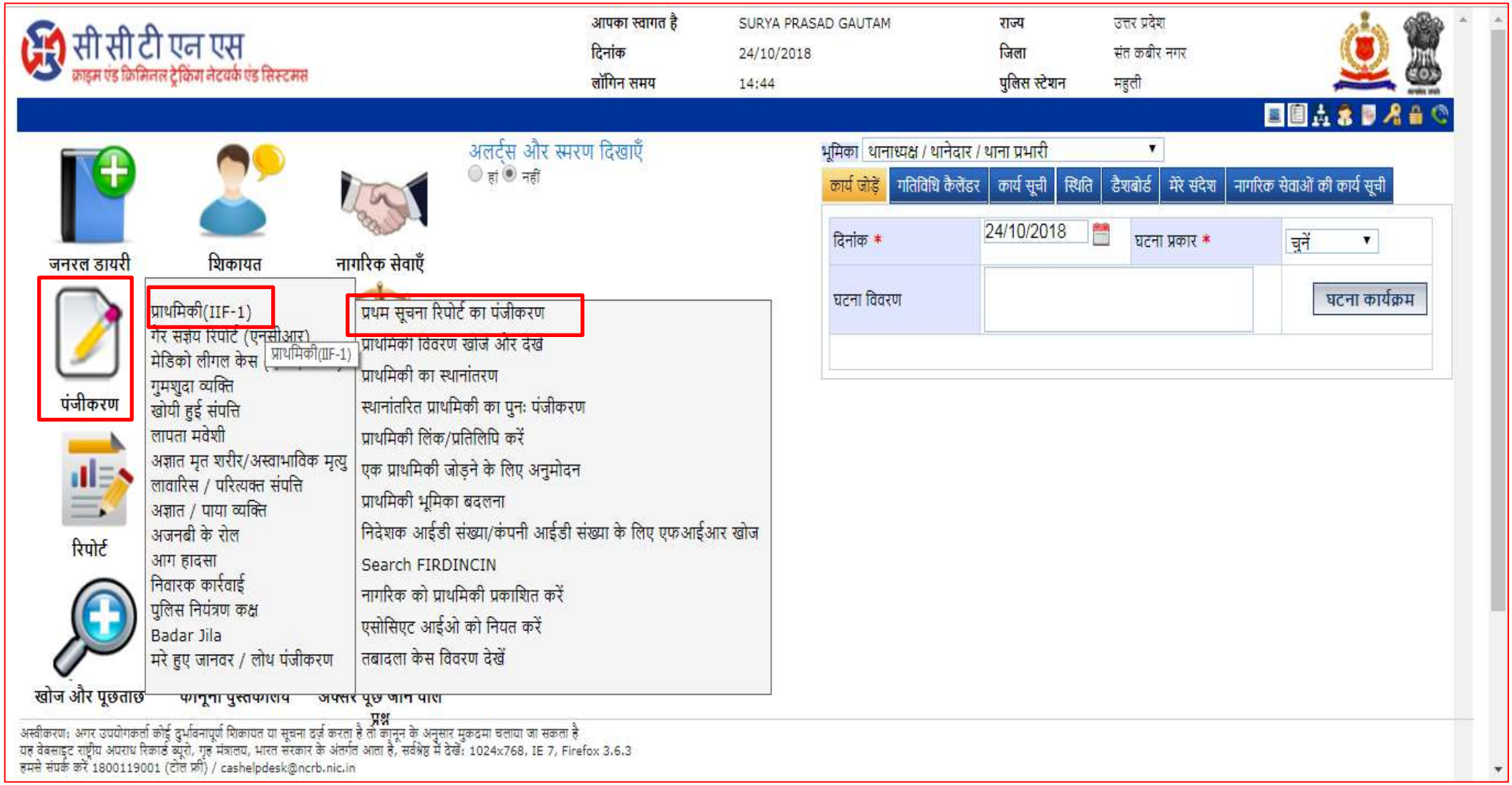

4. **“अधिनियम और धारा”** टैब के अंदर **“शिकायत के स्रोत”** में **“न्यायालय”** का चयन करेंगे |

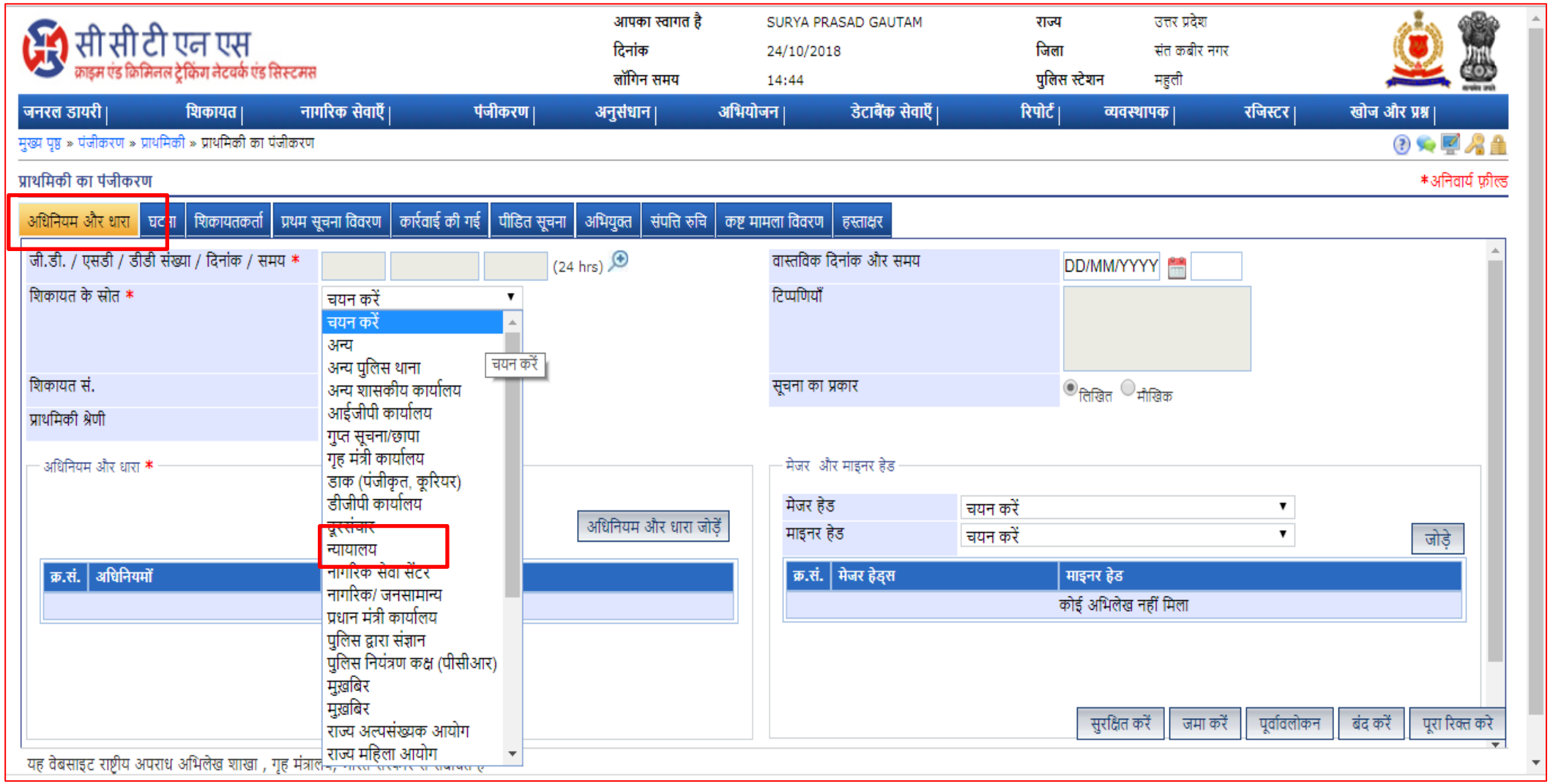

5. शिकायत के स्त्रोत में **"न्यायालय"** का चयन करने के उपरांत **"अदालत के प्रकार"** एवं **"न्यायालय का नाम"** चुन सकते हैं | शेष प्रक्रिया, अन्य FIR के समान यथावत रहेंगी |

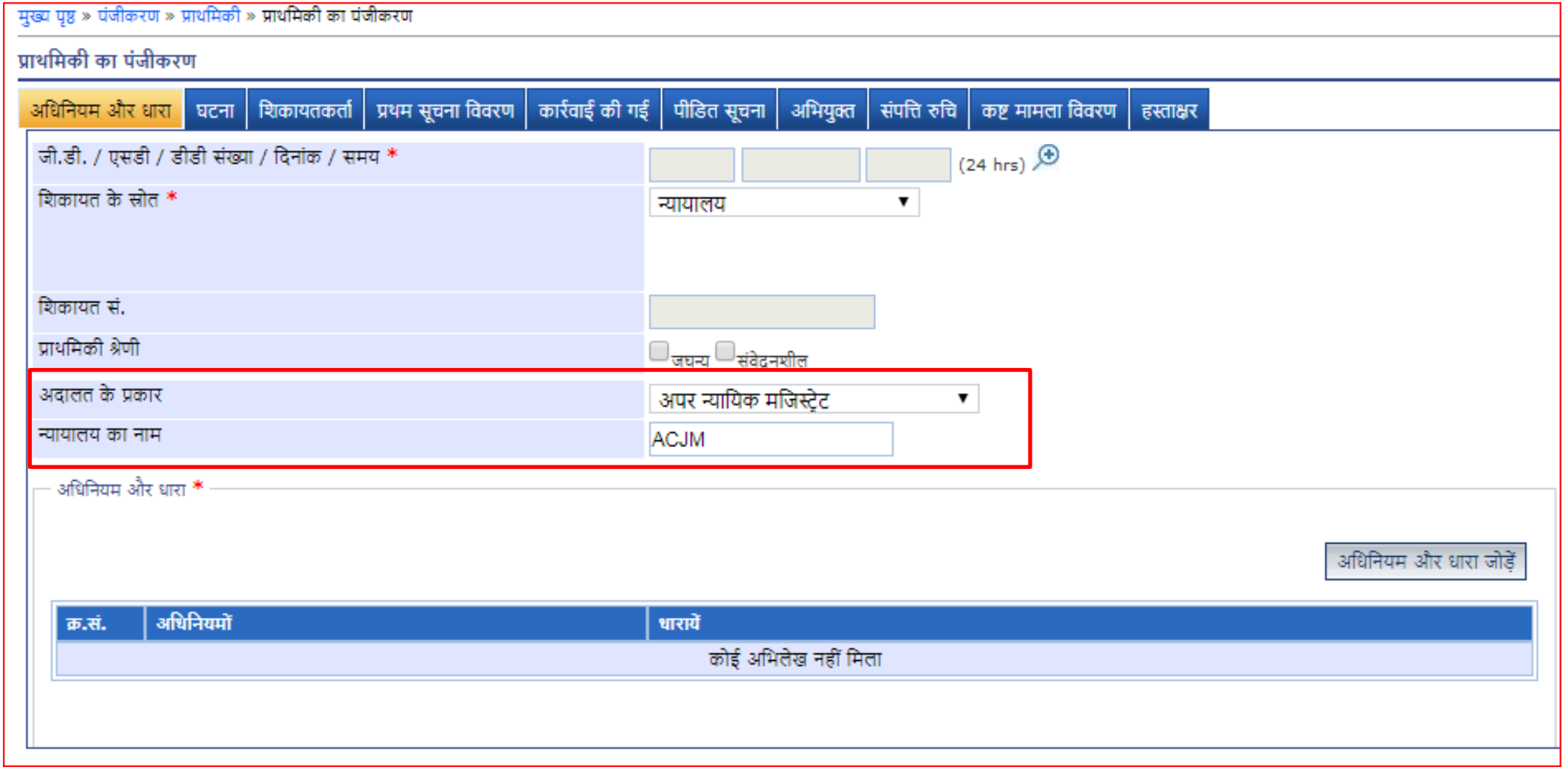

-- धन्यवाद --